

पावर लाइन ट्रैक क्रॉसिंग प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत/अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज

A. बिना लाइन चार्जिंग के कार्य के निष्पादन हेतु ट्रैक क्रॉसिंग प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु।

1. यूजी/ओएच पावर लाइन ट्रैक क्रॉसिंग का रफ साइट स्केच आवेदन चरण के दौरान IR-RBCS पोर्टल पर प्रस्तावित पावर लाइन ट्रैक क्रॉसिंग के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा मुहर और हस्ताक्षर के साथ अपलोड किया जाना है।
2. साइट व्यवहार्यता रिपोर्ट और रफ हस्ताक्षरित स्केच जिसमें रेलवे क्षेत्र पर्यवेक्षकों और पार्टी के साथ क्रॉसिंग और रेलवे की सभी बाधाओं को दर्शाया गया हो, साथ ही राज्य राजस्व विभाग के उप रजिस्ट्रार/तहसीलदार से क्रॉसिंग स्थान के भूमि दर दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति और रेलवे के संबंधित एडीईएन और एसएसई/वर्क्स द्वारा अनुमोदित हो।
3. पावर लाइन ट्रैक क्रॉसिंग के लिए रेलवे मानक प्रारूप के अनुसार ऑटोकैड से तैयार ड्राइंग प्लान अपलोड करना।
4. यूजी/ओएच पावर लाइन क्रॉसिंग के लिए डेटा, डिजाइन और गणना शीट (अनुलग्नक ए. 4.01) विधिवत भरा हुआ और पार्टी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (क्रॉसिंग का मालिक एक्सईएन/एसई से नीचे नहीं) द्वारा हस्ताक्षरित।
5. ओवरहेड पावर लाइन ट्रैक क्रॉसिंग के मामले में चार्ट और प्रोफाइल डेटा के साथ सैंग गणना का विवरण (एक्सईएन/एसई से नीचे नहीं)
6. सुपरविजन शुल्क की गणना के लिए ओएच/यूजी पावर लाइन ट्रैक क्रॉसिंग की आपूर्ति, निर्माण और कमीशनिंग के लिए अनुमान और लागत विवरण।
7. रेलवे बीजी प्रारूप के अनुसार यूजी पावर लाइन ट्रैक क्रॉसिंग के मामले में "राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998" के अनुसार उचित स्टाम्प शुल्क पर 5,00,000/- रुपये की बैंक गारंटी।
8. रेलवे ट्रैक के ऊपर और उसके आर-पार ओवरहेड पावर लाइन बिछाने और उसके रखरखाव के लिए अनुबंध (ओएच के लिए अनुलग्नक ए. 4.02 / यूजी के लिए ए.4.03)। अनुबंध 500/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर हिंदी और अंग्रेजी में होना चाहिए (हिंदी और अंग्रेजी अनुबंधों के लिए 500/- रुपये के अलग-अलग न्यायिक कागजात प्रस्तुत किए जाने चाहिए)। अनुबंध के प्रत्येक पृष्ठ पर पार्टी (एसईबी के लिए एसई/एक्सईएन और निजी पार्टी के लिए सक्षम प्राधिकारी) द्वारा अनुबंध में निर्धारित स्थान पर पार्टी की ओर से गवाहों के हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

9. 500/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नवीनतम प्रारूप के अनुसार वे लीव एग्रीमेंट, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर पार्टी (एसईबी के लिए एसई/एक्सईएन और निजी पार्टी के लिए सक्षम प्राधिकारी) द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों तथा समझौते में निर्धारित स्थान पर पार्टी की ओर से गवाहों के हस्ताक्षर हों।
10. रेलवे द्वारा अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज।

B. निर्माण कार्य पूरा होने के बाद क्रॉसिंग के ऊर्जाकरण के लिए ईआईजी अनुमोदन के लिए दस्तावेज।

1. अनुपालन प्रमाणपत्र (अनुलग्नक ए. 4.04) विधिवत भरा हुआ और पार्टी द्वारा हस्ताक्षरित (एसईबी के लिए एसई/एक्सईएन और निजी पार्टी के लिए सक्षम प्राधिकारी)।
2. मापे गए मापदंडों के साथ निर्धारित प्रारूप में अंतिम संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट और रेलवे की ओर से एसएसई (पी-वे), एसएसई (इलेक्ट्रिसिटी), एसएसई/टीआरडी और एसएसई/एसएंडटी और पार्टी (एसईबी के लिए ईईएन रैंक से नीचे नहीं) द्वारा हस्ताक्षरित।
3. लाइन के ऊर्जाकरण के लिए अधिकार क्षेत्र के विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी ईआईजी अनुमोदन पत्र की प्रति।
